GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF TEXTILES
RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO-*182
ANSWERED ON- 05/08/2021

NATIONAL HANDLOOM DEVELOPMENT PROGRAMME

*182. SHRI VAIKO:

Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the status of implementation of National Handloom Development Programme;

(b) whether there is a significant shortfall in the physical and financial achievements, if so, the figures for the last three years, district-wise in the country;

(c) the detailed reasons for the shortfall, especially in Tamil Nadu; and

(d) efforts made to make the programme successful and to improve the living standard of handloom weavers in the country?

ANSWER

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF TEXTILES (SMT. DARSHANA VIKRAM JARDOSH):

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to parts (a) to (d) of Rajya Sabha Starred Question No. *182 for 05.08.2021.

(a) to (d): Under various components of the National Handloom Development Programme (NHDP), financial assistance is provided to the eligible handloom agencies/weavers for purchase of upgraded looms & accessories, design innovation & product diversification, infrastructure development, marketing of handloom products in domestic as well as overseas markets, MUDRA loans at concessional rates, etc. Guidelines of the NHDP are applicable throughout the country.

In the last 3 years (2018-19 to 2020-21), an amount of Rs.353.05 crore was allocated as Revised Estimate (RE) under Grant-in-aid head of NHDP, against which expenditure of Rs. 347.65 crore was incurred.The achievements under the NHDP depend upon the receipt of viable proposals from the State Governments as per the extant guidelines of the scheme. MUDRA loans are sanctioned by the banks on the basis of their internal credit appraisal parameters. There was also a fall in the number of viable proposals like marketing expos, etc. from the State Governments. Further, the conditions emanating from Covid-19 pandemic led to disruptions in overall economic activities at large leading to demand and supply shifts in the off take of raw-materials and finished goods including in the handloom sector.

During the said period, under NHDP details of marketing events sanctioned, alongwith the benefits extended to individual weavers under the cluster component and number of MUDRA loans & amount sanctioned in the State of Tamil Nadu and rest of the States/UTs are as follows:

S. No.	Name of the State/UT	No. of Marketing events	No. of weavers benefitted under Skill upgradation	No. of weavers provided looms & Accessories	No. of weavers provided Lighting Units	No. of weavers assisted for construction of Workshed s	No. of Mudra loan sanctioned	Amount of loan sanctioned (Rs. In crore)
1	Tamil Nadu	21	1,438	1,955	-	118	41,568	207.23
2	Rest of States/UTs	324	9,924	20,192	2,597	1,139	25,193	159.92

The Handloom Sector is unorganized, rural-centric and traditional in nature. To overcome various challenges being faced by handloom weavers, the Ministry of Textiles has taken following new initiatives to develop and improve the handloom sector:

i. To support the handloom sector and to enable wider market for handloom weavers, steps have been taken to on-board weavers on Government e-Market place (GeM) to enable them to sell their products directly to various Government Departments and organizations. So far about 1.50 Lakh weavers have been on-boarded on the GeM portal.

ii. To enhance productivity, marketing capabilities and ensure better incomes, 125 Handloom Producer companies have been formed in different States.

iii. Under Concessional Credit/Weaver MUDRA Scheme, margin money assistance at 20% of the loan amount subject to a maximum of Rs.10,000/- per weaver, interest subvention upto 7% and credit guarantee on loans for a period of three years are given.

iv. Design Resource Centres (DRCs) have been set up in Weavers' Service Centres (WSCs) at Delhi, Mumbai, Varanasi, Ahmedabad, Jaipur, Bhubaneswar and Guwahati, through NIFT with the objective to build and create design-oriented excellence in the Handloom Sector and to facilitate weavers, exporters, manufacturers and designers access design repositories for sample/product improvisation and development.

v. To promote marketing of handloom products, Handloom Export Promotion Council (HEPC) has been organizing International Fairs in virtual mode. During the year 2020-21, 12 handloom fairs were organized in virtual mode.

Besides interventions under NHDP, financial assistance is also provided for raw material, infrastructure projects such as dyeing/printing, reeling/spinning, marketing complex, design studies, value addition etc.

As per existing policy framework, the schemes being implemented by the Government of India for the development of handlooms and welfare of handloom weavers are executed through the State Governments and handloom agencies functioning in the States. For effective implementation, the schemes are monitored from time to time at the Central and State level.

***

भारत सरकार

वस्त्र मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *182

05 अगस्त, 2021 को जवाब दिया

राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम

***182 श्री वाइको:**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या वास्तविक एवं वित्तीय उपलब्धियों में भारी गिरावट आई है, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के देश में जिलावार आंकड़े क्या है;

(ग) विशेष रूप से तमिलनाडु में इसमें गिरावट आने के विस्तृत कारण क्या हैं; और

(घ) इस कार्यक्रम को सफल बनाने तथा देश में हथकरघा बुनकरों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से क्या प्रयास किए गए हैं?

उत्तर

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश)

(क) से (घ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 05.08.2021 को राज्य सभा के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं *182 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (घ): राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के विभिन्न घटकों के तहत, पात्र हथकरघा एजेंसियों / बुनकरों को उन्नत करघों और सहायक सामान, डिजाइन नवाचार और उत्पाद विविधीकरण, बुनियादी ढांचे के विकास, घरेलू तथा विदेशी बाजारों में हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग, रियायती दरों पर मुद्रा ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एनएचडीपी के दिशा-निर्देश पूरे देश में लागू हैं।

पिछले 3 वर्षों (2018-19 से 2020-21) में, एनएचडीपी के सहायता अनुदान मद के तहत संशोधित अनुमान (आरई) के रूप में 353.05 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी, जिसमें से 347.65 रुपए करोड़ खर्च हुए। एनएचडीपी के तहत उपलब्धियां योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति पर निर्भर करती हैं। मुद्रा ऋण बैंकों द्वारा उनके आंतरिक ऋण मूल्यांकन मानकों के आधार पर स्वीकृत किए जाते हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले मार्केटिंग प्रदर्शनियों आदि जैसे व्यवहार्य प्रस्तावों की संख्या में भी गिरावट आई थी। इसके अलावा, कोविड -19 महामारी से उत्पन्न स्थितियों ने बड़े पैमाने पर समग्र आर्थिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा किया, जिससे हथकरघा क्षेत्र सहित कच्चे माल और तैयार माल की मांग और आपूर्ति में बदलाव आया।

उक्त अवधि के दौरान, एनएचडीपी के तहत स्वीकृत विपणन कार्यक्रमों का विवरण, क्लस्टर घटक के तहत व्यक्तिगत बुनकरों के लिए बढ़ाए गए लाभों सहित और मुद्रा ऋणों की संख्या तथा तमिलनाडु राज्य और बाकी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्वीकृत राशि इस प्रकार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विपणन कार्यक्रमों की सं.	कौशल उन्नयन के अंतर्गत लाभान्वित बुनकरों की संख्या	करघे और सहायक उपकरण प्राप्त करने वाले बुनकरों की संख्या	लाइटिंग इकाइयां प्राप्त करने वाले बुनकरों की संख्या	वर्कशेड निर्माण के लिए सहायता प्राप्त बुनकरों की संख्या	स्वीकृत मुद्रा ऋण की संख्या	स्वीकृत ऋण की राशि (करोड़ रुपये में)
1	तमिलनाडु	21	1,438	1,955	-	118	41,568	207.23
2	शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	324	9,924	20,192	2,597	1,139	25,193	159.92

हथकरघा क्षेत्र असंगठित, ग्रामीण-केंद्रित और पारंपरिक प्रकृति का है। हथकरघा बुनकरों के सामने आ रही विभिन्न चुनौतियों को दूर करने के लिए, वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए निम्नलिखित नई पहल की हैं:-

i. हथकरघा क्षेत्र की सहायता करने तथा हथकरघा बुनकरों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध कराने हेतु बुनकरों को सरकारी ई-मार्केटप्ल्से (जेम) पर ऑन बोर्ड करने संबंधी कदम उठाये गये हैं जिससे वे अपने उत्पाद सीधे विभिन्न सरकारी विभागों को बेचने में सक्षम हो सकें। अब तक लगभग 1.5 लाख बुनकरों को जेम पोर्टल पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है।

ii. उत्पादकता, मार्केटिंग क्षमताओं को बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने हेतु, विभिन्न राज्यों में 125 हथकरघा निर्माता कंपनियों का गठन किया गया है।

iii. रियायती ऋण/बुनकर मुद्रा योजना के तहत, ऋण राशि के %20पर मार्जिन मनी सहायता, अधिकतम 10, -/000रूपए प्रति बुनकर की शर्त के अधीन, %7तक ब्याज अनुदान और तीन वर्षों की अवधि के लिए ऋणों पर ऋण गारंटी दी जाती है।

iv. निफ्ट के माध्यम से बुनकर सेवा केंद्र (डब्ल्यूएससी) दिल्ली, मुंबई, वाराणसी, अहमदाबाद, जयपुर, भुवनेश्वर और गुवाहाटी में डिजाइन रिसोर्स सेंटर (डीआरसी) स्थापित किए गए हैं, ताकि हथकरघा क्षेत्र में डिजाइन-उन्मुख उत्कृष्टता का निर्माण और बुनकरों, निर्यातकों, निर्माताओं और डिजाइनरों को नमूना/उत्पाद सुधार और विकास के लिए डिजाइन कोषों के लाभ की सुविधा मिल सके।

v. हथकरघा उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए, हथकरघा निर्यात संवर्धन परिषद (एचईपीसी) वर्चुअल मोड में अंतर्राष्ट्रीय मेलों का आयोजन कर रही है। वर्ष 2020-21 के दौरान वर्चुअल मोड में 12 हथकरघा मेलों का आयोजन किया गया।

एनएचडीपी के तहत अंतःक्षेपों के अलावा, कच्चे माल, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे रंगाई/छपाई, रीलिंग/कताई, मार्केटिंग कम्प्लेक्स, डिजाइन अध्ययन, मूल्यवर्धन आदि के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

मौजूदा नीतिगत रूपरेखा के अनुसार, हथकरघा के विकास और हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं को राज्य सरकारों और राज्यों में कार्यरत हथकरघा एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय-समय पर केन्द्र एवं राज्य स्तर पर योजनाओं की निगरानी की जाती है।

***

डा. विकास महात्मे : उपसभापति महोदय, मैं आदरणीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस साल 20 हजार से ज्यादा लोगों को उन्होंने handloom accessories दीं। ...**(व्यवधान)**... मेरा सवाल यह है कि रेशम के क्लस्टर्स महाराष्ट्र में न होने की वजह से जो सिल्क कोकून होते हैं, महाराष्ट्र में न होने की वजह से जो भी ...**(व्यवधान)**...होते हैं, रेशम के कोश तैयार होते हैं, ...**(व्यवधान)**... उन्हें रामनगर, कर्णाटक लेकर जाना पड़ता है और उनको रामनगर लेकर जाने के लिए दो ट्रेन्स हैं, वे वहां केवल एक मिनट के लिए ही रुकती हैं...**(व्यवधान)**... तो क्या ये ट्रेन्स वहां ज्यादा देर रुक सकती हैं?...**(व्यवधान)**... दूसरा यह है कि महाराष्ट्र में जो क्लस्टर नहीं है, जो कोष्टी समाज है, जो weaver community है, क्या हम उनको भी हैंडलूम का फायदा दे सकते हैं? यदि ऐसा होता है, तो हम महाराष्ट्र में सिल्क इंडस्ट्री बढ़ा पाएंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापति : माननीय सदस्यगण, पेपर फाड़ना संसदीय आचरण नहीं है।...**(व्यवधान)**... मैं आप लोगों को वॉर्न कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...प्लीज़, पेपर फाड़ना असंसदीय आचरण है। ...**(व्यवधान)**... 235 और बाकी जो रूल्स हैं, उनका आप उल्लंघन कर रहे हैं, तो माननीय सदस्यगण, आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : उपसभापति महोदय, प्रधान मंत्री जी ने 9 तारीख को My Handloom, My Pride के माध्यम से हैंडलूम वर्कर्स को बहुत सम्मान दिया है।...**(व्यवधान)**... हम लोगों ने 9 तारीख को, अपनी-अपनी जगह के जो भी weavers हैं या जो भी handloom के artisan हैं...**(व्यवधान)**... उनको प्रमोट करने के लिए हमें इस मुहिम से जुड़ना जरूरी है। माननीय सदस्य का यह प्रश्न विशेषकर महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, तो मैं बाद में उसके बारे में उनको जानकारी पहुंचा दूंगी।

DR. AMAR PATNAIK: Mr. Deputy Chairman, Sir, there is a demand from the National Federation of Handlooms and Handicrafts that handlooms should be covered under the *Atmanirbhar Bharat* package. *...(Interruptions)...* Is this demand being considered by the Government, so that it becomes a part of the *Atmanirbhar Bharat* as an MSME? *...(Interruptions)...*

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : उपसभापति महोदय, पिछले Thursday को भी माननीय सदस्य ने यही प्रश्न पूछा था।...**(व्यवधान)**... मैंने तभी उसके जवाब में यह बताया था कि आप हमें उसके बारे में लिखित में जानकारी दें, तो मैं उनको उस विषय के बारे में सूचना जरूर दे दूंगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय सेठ : उपसभापति महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी के मार्गदर्शन में हरकरघा उद्योग में बहुत तरक्की हुई है।...**(व्यवधान)**... मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि यू.पी. में garments export को बढ़ावा देने के लिए क्या कार्य किए जा रहे हैं और उसमें क्या बढ़ोतरी हो रही है?...**(व्यवधान)**...

श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश : उपसभापति महोदय, यह प्रश्न भी यू.पी. से जुड़ा हुआ प्रश्न है।...**(व्यवधान)**... मैं overall बताना चाहती हूं कि ब्लॉक लेवल पर 440 क्लस्टर बने हुए हैं, जिसमें designer, common facility centre और looms workshop आदि के द्वारा हम लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं।...**(व्यवधान)**... उनके प्रमोशन के लिए और उनकी चीज़ें बेचने के लिए GeM Portal पर भी उनको सुविधा दी गई है। जितने भी हैंडलूम से जुड़े हुए वर्कर्स हैं, उनको आधार

कार्ड से जोड़कर उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई है। उनको इस योजना के माध्यम से लाभ देने की कोशिश कर रहे हैं।...**(व्यवधान)**... संजय जी ने यू.पी. के बारे में जो भी सवाल पूछा है, मैं माननीय सदस्य को उसकी जानकारी दे दूंगी।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No. 183.